संख्या– 1943 / 11–5–2010–500(13) / 2010

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 13 मई, 2010

विषयः स्टाम्प वादों का त्वरित निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि स्टाम्प वादों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण जहां एक ओर सामान्यजन को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहीं शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व आय भी बाधित होती है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में कमी स्टाम्प के प्रकरणों में 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ–साथ शास्ति अधिरोपित करने की भी व्यवस्था की गई है। पक्षकारगण पर अत्यधिक शास्ति एवं ब्याज का बोझ न पड़े तथा समयान्तर्गत अधिरोपित धनराशि पक्षकारगण द्वारा शासकीय कोष में जमा कर दिये जायें, को दृष्टिगत रखते हुए स्टाम्पवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैंः–

1. स्टाम्पवाद योजित होने की तिथि से अधिकतम तीन माह के अन्दर उनका निस्तारण हो जाना चाहिए। सभी जिलाधिकारी अपने जनपद में लम्बित स्टाम्पवादों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक कार्य योजना बनाकर एक माह में आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. जिलाधिकारी की मूल्यांकन सूची ही जनसामान्य के लिये सम्पत्ति का मूल्यांकन करने हेतु एक सुलभ मार्गदर्शिका होती है। सामान्यतः वाद निर्णीत करते समय इस मूल्यांकन सूची का समादर करना चाहिए। यदि किसी प्रकरण विशेष में दरों से विचलन करने की आवश्यकता हो तो मूल्यांकन सूची को भी तद्नुसार सुधार लेना चाहिए।
3. यदि स्टाम्पवाद में तहसीलदार की स्थल निरीक्षण आख्या अथवा विधिक अभिमत की आवश्यकता हो तो इसके लिये एक अभियान चलाकर सभी लम्बित वादों में एक निष्चित दिनांक तक पीठासीन अधिकारी तक सम्बन्धित आख्या पहुॅचाना सुनिश्चित किया जाये। स्थल निरीक्षण किसी भी दशा में राजस्व निरीक्षक इत्यादि से नहीं कराये जायेंगे।
4. यदि निश्चित दिनांक तक पीठासीन अधिकारी को स्थल निरीक्षण आख्या प्राप्त नहीं होती है तो स्थल निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने वाले अधिकारी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण कर स्टाम्पवाद का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी स्थल निरीक्षण आख्या उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5. यदि पक्षकारों को नोटिस तामील न हुआ हो तो पक्षकारों के लेखपत्र में वर्णित पते के अतिरिक्त क्रय की गयी सम्पत्ति/भवन/फ्लैट/दुकान आदि के पते पर भी रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाये। नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 में प्राविधानित है। अतः प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए।
6. पीठासीन अधिकारी के स्तर से हुए विलम्ब के कारण भी कमी स्टाम्प शुल्क के साथ–साथ ब्याज के रूप में अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ता है। अतः पीठासीन अधिकारी निर्णय पारित करते समय इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए न्यायोचित अर्थदण्ड आरोपित करेंगे।
7. स्टाम्पवाद निस्तारित करते समय पीठासीन अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संदर्भण आख्या, जिसके आधार पर स्टाम्पवाद योजित किया गया है, वह युक्तियुक्त और सदाशयतापूर्ण है। संदर्भण आख्या में कदाशयता पायी जाये तो उसका उल्लेख निर्णय में अवश्य किया जाये और ऐसे निर्णय की एक प्रति महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश को अवश्य प्रेषित की जाये, जो निर्णय का परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे।
8. तीन माह से अधिक समय से लम्बित स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिये महानिरीक्षक निबन्धन मासिक समीक्षा बैठक में अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अपने अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों के माध्यम से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेंगे।

कृपया सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1943/11–5–2010–500(13)/2010 दिनांक 13 मई,2010

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा जिलाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में अनुश्रवण हेतु।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।